राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 161 दिसम्बर 2012 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

इतिहास ने अपने आपको दोहराया है; केवल इस बार यह अधिक पाशविक, अधिक दिल दहलाने वाला और अधिक वीभत्स हुआ है। एक 23 वर्ष की पैरामेडिकल विद्यार्थी के साथ एक चार्टर्ड बस के अंदर दक्षिण दिल्ली के एक व्यस्त इलाके में एक घंटे से अधिक समय तक घुमाने के दौरान सामूहिक बलात्कार हुआ है और यंत्रणा दी गई है। उसे बाद में उसके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्त के साथ बुरी तरह पिटाई करने के बाद बस से बाहर फैंक दिया गया। उसके पेट, आमाशय और आंतों में कई घाव हुए और वह 13 दिन जिंदा रहने के लिए संघर्ष करती रही। उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना था कि उन्होंने यौनाचार की पीड़िता पर 'ऐसी बर्बरता' पहले कभी नहीं देखी।

इस घटना ने समूचे देश को झकझोर दिया और लोगों में जबरदस्त आक्रोश फैला। वे सड़कों पर आकर इसका विरोध करने लगे। लाठियों, आंसू गैस और पानी की बौछार का सामना करते हुए हजारों लोग, मुख्यतः लड़के और लड़कियां, अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए दिल्ली के सड़कों पर आ गए।

संसद में, संसद सदस्यों ने दलों से ऊपर उठकर अपराधियों को मृत्युदंड देने की मांग की। लेकिन इसमें एक जबरदस्त आशंका है कि यदि ऐसा कानून बनता है तो बलात्कारी न्यायालयों में गवाह देने से पीड़ितों को रोकने के लिए उनको निश्चय ही मार देना चाहेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा ने दूसरी ओर ऐसे अपराध करने वालों को एक सशक्त निवारक के रूप में रसायन द्वारा नपुंसक बना देने का सुझाव दिया। दंड की कठोरता नहीं अपितु इसकी निश्चितता अंततः ऐसे अपराधियों को निरुत्साहित करेगी।

बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड मांगने के बजाए हमें दीर्घकालीन समाधान पर जोर देना चाहिए। बलात्कार के मामलों पर समयबद्ध तरीके से द्रुत न्यायालयों में मुकदमा चलाया

चर्चा में — एक साहसी लड़की की मौत

जाना चाहिए और शीघ्र मुकदमा चलाकर इस वर्तमान मामले को एक उदाहरण के रूप में रखा जाना चाहिए और पुलिस की कोई चूक पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस बल विशेषकर महिला पुलिस की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और उन्हें महिला संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। पुलिस को अपराध संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करनी चाहिए क्योंकि पुलिस की अधिक संख्या में उपस्थिति से अपराधी निरुत्साहित होंगे और अधिक संख्या में पी.सी.आर. (पुलिस कंट्रोल रूम) गाड़ियां चलाई जानी चाहिए जो नगर के सभी भागों में अधिक बराबरी के साथ गश्त करें। इस तरह के अपराधों से निबटने के लिए एक कठोर कानून सुनिश्चित करने हेतु सरकार को यौनाचार के 'रेअर ऑफ रेअरेस्ट मामलों में' आपराधिक कानून में संशोधन करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए।

परन्तु केवल कानून, चाहे वे कितने भी कठोर क्यों न हों, ऐसे वीभत्स अपराधों से निबटने में समर्थ नहीं हो सकेंगे जब तक कि हमारे पुरुष प्रधान समाज की सोच में परिवर्तन नहीं आता है। हमें अपने बच्चों के मन में आरम्भ से ही, जिसकी शुरुआत परिवार, स्कूल और शैक्षिक संस्थाओं से हो, महिला-पुरुष की समानता और महिलाओं और उनमें अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना डालनी चाहिए।

और अंत में, हमको एक उत्तरदायी सिविल सोसायटी की आवश्यकता है जो जब भी कोई असामाजिक तत्व किसी लड़की को परेशान करता है अथवा उससे छेड़खानी करता है तो वह उसके विरुद्ध आवाज उठाए अथवा कम से कम पुलिस में शिकायत करे। किसी घटना को देखने पर यदि हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं और उसकी अनदेखी करते हैं, जैसा कि गुवाहाटी में भीड़ के सामने जब एक लड़की से छेड़खानी की जा रही थी और लोग तमाशबीन बने रहे तो हम उस बहादुर लड़की के प्रति अनादर दिखा रहे हैं जिसने सिंगापुर के अस्पताल में अपने जीवन के लिए बहादुरी से संघर्ष करते हुए अपने प्राण त्याग दिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गठित जांच समितियां

- सदस्या चारुवलीखन्ना ने दिल्ली में एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों द्वारा महिला स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के साथ कथित यौन प्रताड़ना के बारे में शिकायत की जांच की।
- सदस्या शमीना शफीक ने एक व्यक्ति, जो बधगढ़ी (बुलंदशहर) उत्तर प्रदेश का निवासी है, की पत्नी पर हुए अत्याचार, जिस पर पहले भी उसके गृह में अत्याचार हुए थे, की जांच की। जांच शुरू करने की तिथि से तीन दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई।
- सदस्या शमीना शफीक ने गांव रायपुर, जिला सीतामढ़ी (बिहार) में हुए सामूहिक दुराचार की घटना की जांच की।
- सदस्या शमीना शफीक ने एडवोकेट अभिषेक गुप्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री योगिता के साथ मिलकर गांव बादशकपुर, जिला पटियाला (पंजाब) में हुई एक घटना की जांच की जिसमें एक लड़की ने सामूहिक दुराचार होने के बाद आत्महत्या कर ली थी।

● अपने सरकारी दौरे के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा जयपुर, कोटा और भरतपुर गई। उन्होंने महिला विचाराधीन कैदियों की रहने की स्थिति के बारे में पता करने के लिए भरतपुर में महिला जेल का दौरा किया। उन्होंने कैदियों के रहने की स्थिति और उन्हें दिए जा रहे खराब किस्म के भोजन को नोट किया।

● राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा भरतपुर में मनोविज्ञान विभाग की विभागाध्यक्षा डॉ. सुजाता चौहान द्वारा आयोजित 'घरेलू हिंसा' के राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि थी।

'बेटी बचाओ, जल बचाओ' नारा देती हुई उन्होंने कहा कि हरेक व्यक्ति को कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, शिशु हत्या के विरुद्ध कानूनों की कमी नहीं है परन्तु उनको सख्ती के साथ क्रियान्वित नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाए जाने की भी आवश्यकता है और मेडिकल परामर्शदाताओं को इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। बाद में उन्होंने घरेलू हिंसा पर एक पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

श्रीमती ममता शर्मा सेमिनार को संबोधित करती हुई

● अध्यक्षा पुडुचेरी विश्वविद्यालय द्वारा 'वैश्वीकरण के युग में महिलाओं का सशक्तिकरण : चुनौतियां और अवसर' पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित हुई। श्रोताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में जनजातियों, जो सबसे अधिक उपेक्षित हैं, की समस्याओं पर जोर दिया। उन्होंने श्रोताओं को बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों पर एक पुस्तिका निकालेगा जिसमें घरेलू हिंसा, आत्मरक्षा आदि जैसे विषय होंगे। यह पुस्तिका अंग्रेजी, तमिल, पंजाबी, हिन्दी और उर्दू में प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज समस्या आदि के मुद्दों पर महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर महिला अधिकार अभियान आरम्भ किया है।

श्रीमती ममता शर्मा सेमिनार को संबोधित करती हुई

● अध्यक्षा भारतीय विकास मंच, जिसमें पुडुचेरी में रह रहे राजस्थानी समुदाय के सदस्य हैं, द्वारा आयोजि कार्यक्रम में उपस्थित हुई। उन्होंने देश में महिलाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं पर चर्चा की। इसमें भाग लेने वालों ने मांग की कि पुडुचेरी से जयपुर अथवा जयपुर से पुडुचेरी एक रेलगाड़ी चलाई जाए ताकि भारतीय पर्यटक और आम जनता उसमें यात्रा कर सकें और यह भी अनुरोध किया कि जयपुर-चेन्नई रेलगाड़ी को पुडुचेरी तक बढ़ाया जाए। अध्यक्षा ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांग को उपयुक्त कार्यवाही के लिए रेल मंत्री के पास उठाया जाएगा। बाद में, वह पुडुचेरी महिला जेल गई और वहां कैदियों के साथ बातचीत की जिन्होंने बताया कि जेल प्राधिकारियों के साथ उनकी कोई समस्या नहीं है और उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है।

● श्रीमती शर्मा जयपुर स्थित महिला जेल गई जहां 207 महिला कैदियों को रखा हुआ है। इनमें से 128 को दंड दिया गया है और बाकी विचाराधीन कैदी हैं। कैदियों के साथ 11 बच्चे रह रहे हैं। महिला कैदियों ने कहा कि उनकी ठीक ढंग से देखभाल की जा रही है और खाना अच्छा है और उनके बच्चों को उचित शिक्षा दी जा रही है।

● अध्यक्षा ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में कन्या भ्रूण हत्या पर सेमिनार का उद्घाटन किया। महिलाओं को आयोग की योजनाओं और समाज में उनके अधिकारों के बारे में भी बताया गया।

● इथियोपिया गणतंत्र से श्रीमती ज़ेनेबु टेडेसी, महिला एवं बाल और युवा कार्य मंत्री की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग में आया। इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती ज़ेनेबु टेडेसी ने कहा कि

श्रीमती ज़ेनेबु टेडेसी का अभिवादन करती हुई श्रीमती ममता शर्मा

इस दौरे का उद्देश्य महिला मुद्दों से संबंधित कार्यक्रमों और नीतियों पर विचारों का आदान-प्रदान करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आयोग के विभिन्न प्रकोष्ठों की कार्यप्रणाली के बारे में उन्हें बताया। उसके बाद, एक आपसी चर्चा का सत्र हुआ जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों ने प्रतिनिधिमंडल के नेता और अन्य सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए।

राष्ट्रीय महिला संगठनों के साथ परस्पर चर्चा सत्र

अध्यक्षा और राष्ट्रीय महिला आयोग के सभी सदस्यों ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, विशेषकर अपराध के बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए, जैसे मुद्दों पर संयुक्त कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय महिला संगठनों के साथ आगे कार्य करने के लिए परस्पर चर्चा का सत्र रखा। एन.एफ.आई.डब्ल्यू. के सचिव ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि इसे अधिक सक्षम बनाया जा सके। एन. एफ.आई.डब्ल्यू. की अध्यक्षा सुश्री अरुणा रॉय ने अल्पसंख्यकों और जनजाति क्षेत्रों की महिलाओं के लिए एक पृथक महिला प्रकोष्ठ बनाने का सुझाव दिया। ए.आई.डी.डब्ल्यू.ए. की सुश्री सुधा सुन्दरमन ने सुझाव दिया कि महिला बजट पर परामर्श करने के लिए महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग को नियत कालिक मिलते रहना चाहिए। कुछ सदस्यों ने दलित महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों से संबंधित मुद्दों को विशेष रूप से उठाया और कहा कि उनके मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया जा सकता है। अध्यक्षा ने उन्हें बताया कि आयोग संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों और पुलिस महानिदेशक के साथ ऐसे मामलों पर पहले ही आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

परस्पर चर्चा सत्र में (ऊपर) अध्यक्षा और राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य

सदस्यों के दौरे

● राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य निर्मला सामंत प्रभावलकर और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा राजस्थान में बूंदी जेल गई जहां केवल 6 कैदी थे, कैदियों ने भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं और सफाई के बारे में कोई शिकायत नहीं की। वे कोटा जेल भी गई और वहां महिला कैदियों से मिली। उनमें से अधिकांश घरेलू हिंसा, दहेज के कारण होने वाली मौत, हत्या और अपहरण की आरोपी थी। कैदियों ने न्यायालयों में लंबित उनके मामलों पर शीघ्र मुकदमा चलाए जाने का अनुरोध किया।

● राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या शमीना शफीक नई दिल्ली में दूसरा ए.एस.एन. यमुना वेल्थ इंटर स्कूल गेम्स और कल्चरल फेस्टिवल, 2012 में उपस्थित हुई। सदस्या ने महसूस किया कि स्कूल के बच्चों में खेल-कूद का संवर्धन छोटी पीढ़ी में अनुशासन लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक बेहतर समाज बनाने के लिए सामाजिक परिवर्तन लाने में उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं।

सदस्या गांव सकरन के सीतापुर में एक कानून जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित हुई। सदस्या ने इस तथ्य पर जोर दिया कि महिलाओं को उन्हें होने वाली रोजमर्रा की समस्याओं से निबटने में उनके अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वह सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री एनी राजा और राष्ट्रीय महिला आयोग की पी.आर.ओ. सुश्री करीना थेंगामम के साथ रायपुर जेल गई और महिला कैदियों से मुलाकात की और बाद में छत्तीसगढ़ में राज्य महिला आयोग के साथ बैठक की। वह ग्राम पंचायत चिरिया और बेटियां देश की शान फाउंडेशन द्वारा गांव चिरिया, हरियाणा में आयोजित 'बेटी बचाओ' सम्मेलन में उपस्थित हुई। उन्होंने सिविल लाइंस, सीतापुर में निःशुल्क मोतियाबिन्द शिविर का भी उद्घाटन किया।

श्रीमती शफीक को 'आज लोकतंत्र की चुनौतियां और बुद्धिजीवियों की भूमिका' सम्मेलन के दौरान 'भारत के निर्वाचन आयुक्त श्री एच. एस. ब्रह्मा द्वारा 'दिल्ली रत्न' प्रदान किया गया।

सदस्या उत्तर प्रदेश के लहरपुर में एक कानून जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित हुई। इसके अतिरिक्त, इसमें स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और गांव वाले, अनेक बी.डी.सी. सदस्य और प्रधान उपस्थित थे।

श्रीमती शफीक कानून जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं के साथ

● राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या डॉ. चारूवलीखन्ना नई दिल्ली में आई.एल.ओ. द्वारा आयोजित 'भारत में महिला आधारित अंतर पर वेतन समानता : कारण और चिन्ता' पर राष्ट्रीय त्रिपक्षीय कार्यशाला में उपस्थित हुई। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डॉ. वलीखन्ना ने कहा कि यद्यपि भारत के संविधान में बराबरी वर्णित है, फिर भी पुरुष के समान योग्य महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम वेतन अर्जित करती हैं। उन्होंने इस बात पर दुख प्रकट किया कि बराबर पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के बन जाने के 40 वर्ष बाद भी महिला भेदभाव और नौकरी पर रखने, पदोन्नति और वेतनमान में भेदभाव होने के कारण भारत में अभी भी महिलाओं के लिए असमान वेतन विद्यमान है।

डॉ. वलीखन्ना को, जो उच्चतम न्यायालय की एडवोकेट हैं, माननीय न्यायाधीश श्री अल्तमश कबीर, भारत के मुख्य न्यायाधीश और केन्द्रीय

विधि और न्याय मंत्री श्री अश्विनी कुमार द्वारा रश्मि आनन्द के साथ लिखी गई उनकी पुस्तक शीर्षक 'हॉन्टेड' पर जो घरेलू हिंसा से बच गई एक महिला की कहानी कहती है और जिसमें भरण-पोषण, मुलाकात, उत्तराधिकार, बाल शोषण आदि के बारे में कानूनी जानकारियां भी दी गई हैं, विधि-दिवस पर आठवीं बार सम्मानित किया गया। डॉ. बलीखन्ना घरेलू कामगारों के लिए एक व्यापक कानून पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय बैठक में भी उपस्थित हुई।

डॉ. चारुबलीखन्ना को विधि मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सम्मानित किया जा रहा है

● राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या हेमलता खेरिया मरसी वेलफेयर सोसायटी द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से गाजियाबाद के विजयनगर में आयोजित विधि जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित हुई। इस अवसर पर बोलते हुए सुश्री खेरिया ने देश में विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं की दयनीय स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि यद्यपि महिला कल्याण के लिए अनेक योजनाएं विद्यमान हैं फिर भी समाज के एक बड़े भाग को उसकी जानकारी नहीं है। इसी कारण से महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों में कई गुणा वृद्धि हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि इन जागरूकता कार्यक्रमों से क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा जो इसके बाद देश के ग्रामीण और पिछड़े लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे।

सदस्या हेमलता खेरिया का फूलों से स्वागत किया जा रहा है

● राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या वानसुक सीएम मणिपुर केन्द्रीय जेल गई जहां 37 महिला कैदियों को रखा हुआ है। उन्होंने जेल की स्थिति को साफ-सुथरा पाया और खाना बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला था। कैदियों को उनके पुनर्वास के भाग के रूप में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा था।

सदस्या वानसुक सीएम (बीच में) इम्फाल केन्द्रीय जेल में

महत्वपूर्ण निर्णय

● **अविवाहित लड़कियां भरण-पोषण की हकदार हैं**

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के साथ पठित पर निर्भर रहते हुए यह निर्णय दिया कि कोई अविवाहित लड़की जो वयस्क है, अपने पिता से भरण-पोषण का खर्च मांग सकती है चाहे उसमें कोई शारीरिक अथवा मानसिक असमान्यता नहीं है अथवा उसे कोई चोट नहीं लगी है अथवा वह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है।

● केरल उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक मुस्लिम युवक और एक हिन्दू युवती के बीच धर्म परिवर्तन से पूर्व विवाह - विवाह सम्पन्न कराने के उपाय के रूप में - कानून में अवैध माना जाएगा। इसने यह विवादित आदेश भी दिया कि यह विचार करते हुए कि लड़की अवयस्क नहीं है, जब तक उनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार नहीं होता है तब तक महिला अपने माँ-बाप के पास रहेगी।

अधिक सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।